न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 50 / 2024	2024 / 14	28.02.2024	28.05.2024

1– मोती राम पुत्र नत्थूराम जाति प्रजापत निवासी ग्राम जिन्दोली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर किस्म 91 एल.आर.एक्ट मुकदमा संख्या 4 / 2023 निर्णय दिनाक 09.02.2024

उपस्थित–

01. श्री महेश यादव –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर किस्म 91 एल.आर.एक्ट मुकदमा संख्या 4 / 2023 निर्णय दिनांक 09.02.2024 जिसके द्वारा विवादित आराजी को गैर मुमकिन धर्मशाला ग्राम पंचायत जिन्दोली की सम्पति मानते हुये प्रकरण खारिज किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 1643 रकबा 0.04 है0 किस्म गै0 मु0 धर्मशाला वाके ग्राम जिन्दोली में स्थित है। जो गैर मुमकिन धर्मशाला दर्ज रिकार्ड है। पूर्व पटवारी हल्का द्वारा आराजी खसरा न0 1643 रकबा 0.04 है0 किस्म गै0 मु0 धर्मशाला सिवायचक खाता में होने के कारण पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 एल. आर. एक्ट की रिपोर्ट तैयार कर नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब मिन अपीलान्ट ने जर्ये अधिवक्ता के वकालतनामा पेश कर पेश किया गया था। जिसमें अपीलान्ट ने अपने जवाब में दर्ज किया गया था, कि भूमि राजस्व रिकार्ड में निवास व बस्तिया आबादी क्षेत्र में स्थित है। तथा विवादित भूमि पर अर्सा–दराज पूर्व से धर्मशाला बनी हुयी है। जो धर्मशाला व्यक्ति विशेष द्वारा बनायी गयी है, जिस पर तहसीलदार मुण्डावर को धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत कार्यवाही करने का कोई अधिकार नही है, चूकि उक्त भूमि आज भी राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन धर्मशाला दर्ज है। उक्त गैर मुमकिन धर्मशाला सन 1985 से ही चाय की दुकान खोलकर उपयोग उपभोग कर रहा है। जो तत्कालीन निर्माणकर्ता द्वारा स्वेच्छा से अपीलान्ट को चाय की दुकान के लिए दी गयी थी। जिसका उपयोग आज भी निर्माणकर्ता के परिवारजन द्वारा अपीलान्ट को उपयोग करने के लिये दी हुयी है। वर्तमान में मनीष मिष्ठान भण्डार के नाम से दुकान खोली हुयी है। अपीलान्ट द्वारा कोई जबरन अतिक्रमण नही कर रखा है। उक्त जगह गैर मुमकिन धर्मशाला है, जो राजस्व रिकार्ड में भी गैर मुमकिन धर्मशाला दर्ज है। निर्माणकर्ता की सहमति से काबिज है, और उपयोग उपभोग करता आ रहा है। जो गांव के धनी लोगो द्वारा सन 1985 में बनायी गयी थी, तभी से मिन अपीलान्ट उक्त गैर मुमकिन धर्मशाला पर चाय की दुकान

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

खोलकर उपयोग उपभोग कर रहा है। जिसके बावजुद भी तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्ट के विरूद्व अपने निर्णय में गैर मुमकिन धर्मशाला को ग्राम पंचायत जिन्दोली की सम्पति मानते हुये उक्त जायदाद को ग्राम पंचायत जिन्दोली की सम्पत्ती मानते हुये निर्णय पारित किया गया है। जबकि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन धर्मशाला दर्ज है, जो ग्राम पंचायत की भूमि नही हो सकती है। न ही तहसीलदार की भूमि हो सकती है। राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन धर्मशाला दर्ज रिकार्ड है। तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट की गैर मौजुदगी में निर्णय पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा न0 1643 रकबा 0.04 है0 किस्म गै0 मु0 धर्मशाला वाके ग्राम जिन्दोली में स्थित है। जो गैर मुमकिन धर्मशाला दर्ज रिकार्ड है। पूर्व पटवारी हल्का द्वारा आराजी खसरा न0 1643 रकबा 0.04 है0 किस्म गै0 मु0 धर्मशाला सिवायचक खाता में होने के कारण पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत रिपोर्ट तैयार कर नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब मिन अपीलान्ट ने जर्ये अधिवक्ता के वकालतनामा पेश कर पेश किया गया था। जिसमें अपीलान्ट ने अपने जवाब में दर्ज किया गया था कि भूमि राजस्व रिकार्ड में निवास व बस्तीया आबादी क्षेत्र में स्थित है। तथा विवादित भूमि पर अर्सा–दराज पूर्व से धर्मशाला बनी हुयी है। जो धर्मशाला व्यक्ति विशेष द्वारा बनायी गयी है, जिस पर तहसीलदार मुण्डावर को धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत कार्यवाही करने का कोई अधिकार नही है, चूकि उक्त भूमि आज भी राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन धर्मशाला दर्ज है। जिसके बावजुद भी तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्ट के विरूद्व अपने निर्णय में गैर मुमकिन धर्मशाला को ग्राम पंचायत जिन्दोली की सम्पति मानते हुये उक्त जायदाद को ग्राम पंचायत जिन्दोली की सम्पत्ती मानते हुये निर्णय पारित किया गया है। जबकि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन धर्मशाला दर्ज है, जो ग्राम पंचायत की भूमि नही हो सकती है। न ही तहसीलदार की भूमि हो सकती है, राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन धर्मशाला दर्ज रिकार्ड है। तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट की गैर मौजुदगी में निर्णय पारित किया गया है। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का जिन्दोली द्वारा दिनाक 25.07.2023 को सम्वत 2080 आराजी खसरा न0 1643 रकबा 0.04 है0 किस्म गैर मुमकिन धर्मशाला पर पक्का मकान दुकान का निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने पर रिपोर्ट 91 एल. आर. एक्ट के तहत तैयार कर पेश की गयी। जिस पर कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अतिक्रमी बावजुद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने पर तहत अदालत द्वारा पुनः अतिक्रमी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। जारी नोटिस की व्यक्तिगत तामील स्वयं अतिक्रमी को करायी जाकर तामील रिपोर्ट शामिल मिसल हुयी। नियत तिथि दिनाक 26.09.2023 को अतिक्रमी स्वयं उपस्थित होकर वास्ते जवाब हेतु समय चॉहा गया। अतिक्रमी द्वारा जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल है। पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गयी एंव बयान दर्ज किये गये। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनाक 25.01.2024 के अनुसार ग्राम जिन्दोली की आराजी खसरा न0 1643 रकबा 0.04 है0 किस्म गैर मुमकिन धर्मशाला जो हाल राजस्व रिकार्ड में जिम्मन न0 खाता 1 में सरकारी खाते में दर्ज है, ग्राम पंचायत के नाम दर्ज नही है। मौके पर अतिक्रमी मोतीराम की मिठाई की दुकान बनी हुयी है। पटवारी हल्का के बयान दिनाक 05.02.2024 में उल्लेखित किया है, कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2037–2040 ग्राम जिन्दोली के जिम्मन न0 1 सिवायचक खाते में आराजी खसरा न0 1339 रकबा 3 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन धर्मशाला ग्राम की आबादी व ढाणी मे दर्ज रिकार्ड है। सेटलमेन्ट भू0 प्रबन्ध विभाग सम्वत 2071 ग्राम जिन्दोली में साबिक आराजी खसरा न0

जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

1339 रकबा 3 बिस्वा जिसका हाल आराजी खसरा न0 1643 रकबा 0.04 है0 वरवक्त तामीर हुआ है। सेटलमेन्ट के उपरान्त नवीन जमाबन्दी ऑनलाईन वरवक्त सेग्रीगेशन में आराजी खसरा न0 1643 रकबा 0.04 है0 किस्म गैर मुमकिन धर्मशाला खाता संख्या 1 में ग्राम के समस्त सिवायचक नम्बरान के साथ दर्ज रिकार्ड हो गया है, जिसमें हेसियत निवास स्थान व बस्तीया दर्ज नही है। जिससे पता नही चल सकता की राजस्व विभाग द्वारा या अन्य विभाग द्वारा कार्यवाही किया जाना है। प्रकरण में वर्णित ग्राम जिन्दोली की आराजी खसरा न0 1643 रकबा 0.04 है0 किस्म गैर मुमकिन धर्मशाला जो हाल राजस्व रिकार्ड में जिम्मन न0 खाता 1 में सरकारी खाते में दर्ज है, ग्राम पंचायत के नाम दर्ज नही है। मौके पर अतिक्रमी मोतीराम की मिठाई की दुकान बनी हुयी है। अतिक्रमी द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाना साबित होता है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 09.02.2024 में विवादीत आराजी गैर मुमकिन धर्मशाला को ग्राम पंचायत जिन्दोली की सम्पति मानते हुये उक्त जायदाद को ग्राम पंचायत जिन्दोली की सम्पत्ती मानते हुये निर्णय पारित किया गया है, न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 09.02.2024 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मुण्डावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, प्रकरण में वर्णित आराजी जिम्मन न0 खाता 1 में सरकारी खाते में दर्ज है। प्रकरण में पुनः जॉच कर विधिवत सम्मत कार्यवाही करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सत्यमेव जयते खैरथल-तिजारा (राज0)

(सुरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राजस्थान)